



2026:AHC-LKO:20672-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-सी संख्या - 2832 वर्ष 2026

मोहम्मद मतीन खान

....

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली एवं 3 अन्य

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: अफाक जकी खान, सैयद अमीर हसन

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: ए०एस०जी०आई०, सी०एस०सी०

न्यायालय संख्या-3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी० सराफ

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री वरुण पांडेय की सहायता से श्री एस०बी० पांडेय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत के उप महाधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, को सुना।

2. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य अनुतोष के लिए दाखिल की गई है:-

"(i) न्यायहित में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत, विरोधी पक्षकारों को याचिकाकर्ता का पासपोर्ट नवीन जारी/नवीनीकरण करने हेतु आदेशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रकरण का निस्तारण इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **पवन कुमार राजभर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं 2 अन्य**; रिट-सी संख्या 41540 वर्ष 2023 : तटस्थ उद्धरण संख्या-

2024:एचसी:9963-डीबी में पारित निर्णय के आलोक में किया जा सकता है।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, वाद अपराध संख्या 155क वर्ष 1985, धारा 147, 337, 452, 323, 506, 504 आईपीसी के अंतर्गत, थाना- बसखरी, जिला- अम्बेडकर नगर में पंजीकृत है तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क, प्रतिवादी(गण) की ओर से उपस्थित श्री एस०बी० पांडेय, विद्वान भारत के उप महाधिवक्ता द्वारा खंडित किया गया। उनका तर्क यह है कि **पवन कुमार राजभर** (उपरोक्त) के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रीता वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य**; याचिका(एस) अपील हेतु विशेष अनुमति (सी) संख्या 7481 वर्ष 2024 में दिनांक 20.09.2024 के निर्णय एवं आदेश द्वारा संशोधित किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. यह उल्लेखनीय है कि **रीता वर्मा** (उपरोक्त) में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **पवन कुमार राजभर** (उपरोक्त) के अनुपात को पुनः दोहराया था। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने ज्ञापन संख्या वीआई/401/1/5/2019 दिनांक 10.10.2019 के संबंध में संपूर्ण स्थिति का परीक्षण करने के उपरांत निम्नानुसार निर्देशित किया :

"4. ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों के होते हुए भी, इस वाद में प्रश्नगत आदेश द्वारा उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कार्यालय ज्ञापन विधिक स्थिति के विपरीत है तथा रिट याचिका को खारिज करने की कार्यवाही की।

5. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री मलक मनीष भट्ट तथा भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान भारत के अपर महाधिवक्ता श्री के०एम० नटराज को सुना। विद्वान भारत के अपर महाधिवक्ता श्री के०एम० नटराज ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कि कार्यालय ज्ञापन वैधानिक स्थिति के विपरीत है, विधि द्वारा समर्थित नहीं है तथा यह भारत संघ का भी दृष्टिकोण नहीं है। विद्वान भारत के अपर महाधिवक्ता ने कार्यालय ज्ञापन के आधार पर अपीलकर्ता के आवेदन की कार्यवाही में कोई कठिनाई व्यक्त नहीं की।

6. इस प्रकरण को देखते हुए, हमारे लिए यह पर्याप्त है कि प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक 10.10.2019 के कार्यालय ज्ञापन अथवा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य पश्चातवर्ती कार्यालय ज्ञापनों के आधार पर, रिट याचिका (सी) संख्या 6450/2024 में दिनांक 28.02.2024 को पारित उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु आवेदन पर विचार करें तथा उपयुक्त आवेदन किए जाने पर उसका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। "

6. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, हम इस मत के हैं कि प्राधिकारियों को दिनांक 08.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन अथवा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य पश्चातवर्ती कार्यालय ज्ञापन के आधार पर याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के पुनः निर्गमन हेतु आवेदन पर विचार करना अपेक्षित है,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद का अंतिम रूप से निराकरण **रीता वर्मा** (उपरोक्त) में किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रीता वर्मा** (उपरोक्त) में स्थापित विधिक सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में लागू होगा, अतः हम प्राधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि वे विषयवस्तु में विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक कार्य करें।

7. उपरोक्त अवलोकनों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति शेखर बी० सराफ)

23 मार्च, 2026

आशुतोष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।